

क्रमांक 284)

दिनांक 10.8.21

द्वारा तहसील/नगरपालिका/नगरनिगम/विकास प्राधिकरण

नीलकाथाना

सेवामें

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र **कल्याणेश्वर महोदय ईस्ट 11-80 प्लॉट**

(समिति का

नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई।

जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. भूमि का पता : **ग्राम-शाखासर (पैराफेरी) नगरपालिका नीलकाथाना**
जिला सीकर (राज.)

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर	—	—	—	पट्टा सं. 616	पैराफेरी शाखासर
भूमि का वर्ग मीटर माप	—	—	—	ख.नं. 283/2 रकबा 1499.94 वर्ग मीटर	ख.नं. 283/2 रकबा 1499.94 वर्ग मीटर
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक / संस्थागत / आवासीय / वाणिज्यिक / कृषि भूमि	—	—	—	पट्टा सं. 959 ख.नं. 283/2/1 रकबा 1500 वर्ग मीटर	पट्टा सं. 959 ख.नं. 283/2/1 रकबा 1500 वर्ग मीटर
	—	—	—	पट्टा सं. 1823 ख.नं. 1072/555 रकबा 2500 वर्ग मीटर	पट्टा सं. 1823 ख.नं. 1072/555 रकबा 2500 वर्ग मीटर

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या/संख्याओं की भूमि मीकों पर एकजुट/लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में

कल्याणेश्वर महोदय ईस्ट 11-80 प्लॉट (समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं वसूला/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

तहसीलदार/सक्षम अधिकारी
(हस्ताक्षर, नाम व कार्यालय मीहर)